न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा
बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 597/2004

उनवान

1 श्रीमति देउ पुत्री भैरुलाल जोगी, निवासी कंवलियास, तहसील हुरडा
2 श्रीमति छग्गू पुत्री भैरुलाल जोगी,निवासी कंवलियास, तहसील हुरडा

–वादीयागण

बनाम

1 श्रीमति लाडदेवी पत्नि देवीनाथ जोगी(मृत्यु होने से नाम हटाया गया)
2 लाडूनाथ वल्द भैरुनाथ जोगी, नि0 कंवलियास तहसील हुरडा ।
3 श्रीमति सायरी पत्नि भैरुनाथ जोगी नि0 कंवलियास तहसील हुरडा।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा
5 श्रीमति स्नेहलता पत्नि सतीशकुमार चौधरी निवासी बदनौर हाल भीलवाडा, राजस्थान

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री धर्मेन्द्र आमेटा , वकील वादी ।
श्री युगलकिशोर व्यास वकील प्रतिवादी।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 व 92ए रा0 टि0 एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 30.05.2018

1– वादीगण की मिलीकियत कब्जेयाबी पुश्तैनी आराजीयात नम्बरी 1128/3, 1141/1, 2263, 2346/1122/3, कुल किता 4 रकबा 07 वीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम कंवलियास में स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में वादीगण एवं प्रातेवादीगण नम्बर– 02 के व प्रतिवादी नम्बर– 01 के स्वसुर व प्रतिवादी नम्बर– 01 के पिता व प्रतिवादी नम्बर– 03 के पति भैरुलाल वल्द ओकारनाथ के नाम राजस्व रेकार्ड में 2036 से सम्वत् 2039 में दर्ज थी जिसका स्वर्गवास हो चूका है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

2– वादीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त आराजीयात प्रतिवादी नम्बर– 1, 2, 3 के नाम राजस्व रेकार्ड में मिला भगती द्वारा अंकन करा लिया, जबकि उक्त आराजीयात में वादीगण का हक हिस्सा नियत होकर अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काश्त है।

3– वादीयान उक्त आराजीयात में निहित हिस्से अनुसार अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अपने नाम कराने के अधिकारी है ।

Scanned by CamScanner

4– प्रतिवादीगण आये दिन वादीया के उक्त आराजीयात में निहित हिस्से में कब्जे काश्त में अवरोध उत्पन्न करते रहते है तथा बेदखल करने पर आमादा है, जिन्हे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत है अगर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादीगण वादीगण को अपने हक हिस्से की आराजीयात से बलपूर्वक बेदखल कर देगे, तथा राजस्व रेकार्ड में उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम होने से उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देगे जिससे वादीया को असहनीय क्षति होगी एवं अपने हक हिस्से से महरुम हो जायेगी जिसकी पूर्ति कदापि सम्भव नही होगी।

5– प्रतिवादीया नम्बर– 01 द्वारा प्रतिवादीया नम्बर– 05 के हक में किया गया विक्रय दिनांक 07.02.2006 को दौराने वाद किया जो विक्रय पत्र वादीगण के हक पर बेअसर है कि घौषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है।

6– अन्त में अंकित किया गया कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस अमर की पारित फरमायी जावें कि वादीगण की आराजीयात जो वाद की कलम नम्बर– 01 में वर्णित निहित हस्से में कब्जे में दस्तन्दाजी पैदा नही करें एवं करावें। बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावे कि वादपत्र में वर्णित कलम नम्बर– 01 की आराजीयात में वादीयान निहित हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी है। प्रतिवादीया नम्बर– 01 द्वारा प्रतिवादी नम्बर– 05 के हक कें किया गया विक्रय अपने हक हिस्से से ज्यादा जो वादीगण के हक हिस्से पर बेअसर होने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ।

7– प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 06.09.2005 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये। प्रतिवादी संख्या– 2 व 3 की और से दिनांक 17.11.2004 को इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी संख्या– 5 की और से दिनांक 01.10.2013 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या– 4 की और से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

8– प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 17.03.2015 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई –

तनकी नं.1	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है, जो सम्वत् 2036 से 2039 में भैरुनाथ वल्द ओंकार नाथ के नाम दर्ज रेकार्ड थी ।	–वादी
तनकी नं.2	आया वादीगण के पिता भैरुनाथ की मृत्यु के बाद आराजी मुतदाविया का खाता प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 3 ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। जबकि वादीगण का भी समान हक हिस्सा होने से वादीगण अपने नाम हक घौषणा करवाने के अधिकारी है।	–वादी

Scanned by CamScanner

तनकी नं.3	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 05 में वर्णित कारणों से वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।	–वादी
तनकी नं.4	आया जवाबदावा की कलम नम्बर– 12 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है।	–प्र.वा–5
तनकी नं.5	आया जवाबदावा की कलम नम्बर– 13 में वर्णित कारणों से दावा वादी खारिज योग्य है।	–प्र.वा–5
तनकी नं.6	अनुतोष।	

9– तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट कंवलियास पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुये। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की मौरुसी आराजीयात होकर उनके पिता भैरुनाथ पुत्र ओंकार नाथ के समय की है, वादीगण के पिता भैरुनाथ की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या– 1 2 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करा ली, जबकि वादीगण मृतक खातेदार की पुत्रीयॉ होने से उनके नाम भी समान हक हिस्से से दर्ज होनी चाहिये थी। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित फरमाया जावें।

10 जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादीगण भैरुनाथ की पुत्रीयॉ नही है, ऐसा कोई साक्ष्य भी पेश नही है, जिससे वह पुत्रीयॉ साबित हो, भैरु के उत्तराधिकारी के नाम नामान्तकरण के वक्त से अब तक आपात्ति नही की। वादीगण का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नही रहा और न है, जिससे वादीगण का वाद चलने योग्य नही है। मैं आराजी मुतदाविया का सद्भावी क्रेता हुँ, प्रतिफल राशि अदा कर भूमि क्रय की है, अन्त में कथन किया कि दावा वादी खारिज किया जावें।

11 मैनें वकील उभयपक्ष की बहस को सूना। बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवज का अध्ययन किया। तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार रहा है–

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

12 **तनकी नम्बर– 1** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीयागण पर है। इस तनकी के समर्थन में वादीयागण के द्वारा ई.एक्स.पी.–1 को प्रदर्श कराया गया। ई.एक्स.पी–1 जमाबन्दी सम्वत् 2036 से 2039 मौजा कंवलियास तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1141, 1646, 1648, 2133, 2263 किता 13 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि औंकार नाथ पिता मोड नाथ जोगी के नाम दर्ज रिकार्ड थी, जो विरासत से नामान्तकरण संख्या– 351 दिनांक 05.03.1982 से रामनाथ रुपनाथ, भैरुनाथ, प्रेमनाथ, नारायण नाथ पुत्र औंकार नाथ के नाम दर्ज रिकार्ड आना प्रकट आया है। तदनुसार इस तनकी का निर्णय वादीयागण के पक्ष में किया जाता है।

Scanned by CamScanner

13 **तनकी नम्बर– 2** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीयागण पर है। इस तनकी के समर्थन में वादीयागण के द्वारा ई.एक्स.पी–1 को प्रदर्श कराया गया । वादीगण के द्वारा प्रस्तुत ई.एक्स.पी–1 जमाबन्दी सम्वत् 2033– 2039 मौजा कंवलियास तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त भूमि नामान्तकरण संख्या– 382 दिनांक 25.09.1982 के अनुसार विरासत से भैरुनाथ के बजाय देबी, समुन्द्र, लाडू, पुत्र भैरुनाथ सायरी बेवा भैरुनाथ का नाम दर्ज रिकार्ड आना तथा नामान्तकरण संख्या– 437 दिनांक 07.01.1983 बंटवारे से वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1124/3, 1141/1, 2346/1122, 2263 किता 4 रकबा 07 बीघा 04 बिस्वा भूमि देबीनाथ, समुन्द्र नाथ, लाडू नाथ पिता भैरुनाथ व मुस्मात सायरी बेवा भैरुनाथ जोगी के हक हिस्से में आना प्रकट आया है ।

ई.एक्स.पी.–1 से यह तो स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात औंकार नाथ जोगी के नाम दर्ज थी, तथा विरासत से उनके पॉचों पुत्रों रामनाथ रुपनाथ, भैरुनाथ, प्रेमनाथ, नारायण नाथ, के नाम दर्ज हुई थी, तथा खातेदार भैरुनाथ की मृत्यु के बाद विरासत से उनके पुत्र देबीनाथ, समुन्द्र, नाथ, लाडूनाथ तथा उनकी बेवा सायरी नाथ के नाम दर्ज हुई थी। जबकि मृतक खातेदार भैरुनाथ की पुत्रीयॉ श्रीमति देउ, श्रीमति छग्गू, भी होने से उनके नाम भी समान हक हिस्से से खाता खुलना चाहिये था, चुॅकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पिता की सम्पति में पुत्रीयों का भी समान हक हिस्सा माना गया है, तद्नुसार वादीगण आराजी मुतदाविया में हक, घोषणा करवानें की अधिकारिणी पाये जाने से इस तनकी का निर्णय वादीयागण के पक्ष मे किया जाता है।

14 **तनकी नम्बर– 3** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीयागण पर है। चुॅकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2057–2060 के अनुसार विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या– 1 से 3 के नाम दर्ज रिकार्ड है यदि उन्हें रोका नही गया तो वह आराजी मुतदाविया को खुर्द बुर्द कर देगें बय बक्षीय बेचान कर देगें वादीगण को उनके हक हकूक की आराजी से बेदखल कर देगें जिससे वादीगण को उनके हक हकूक की पुश्तैनी आराजीयात से महरुम रहकर काफी अपूर्णीय क्षति का सामना करना पडेगा लिहाजा इस तनकी का निर्णय वादीगण के पक्ष में किया जाता है।

15 **तनकी नम्बर– 4** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या– 5 पर है। इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या– 5 का कथन है कि वादी ने वाद पत्र में क्षैत्राधिकार बाबत कोई तथ्य अंकित नही किया है, जिससे वादीगण का वाद आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के तहत खारिज योग्य है। चुॅकि आदेश– 7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के तहत वादपत्रों का नामन्जूर किये जाने के चार बिन्दु वर्णित किये गये है।

1– जहॉ वाद हेतु प्रकट नही हो ।
2– अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया हो।
3– जहॉ वाद पत्र किसी विधि द्वारा वर्जित हो।
4– जहॉ वाद दो प्रतियॉ में नही भरा गया हो।

Scanned by CamScanner

इस धारा में कई भी क्षैत्राधिकार बाबत कोई उल्लेख नही किया गया है, चुँकि वादीगण का वाद पत्र ग्राम कंवलियास तहसील हुरडा से सम्बन्धित है और तहसील क्षैत्र हुरडा के मामलों को सूनने का अधिकार न्यायालय हाजा को है। साथ ही वादीगण का वाद दस्तावेजों पर आधारित है, ऐसी स्थिति में आदेश–7 नियम–11 जाप्ता दीवानी के तहत वादी वाद खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होने से इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है।

6 **तनकी नम्बर– 5** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी संख्या– 5 पर है। इस तनकी के सम्बन्ध प्रतिवादी संख्या– 5 का कथन है कि वादीया का विवादित आराजीयात पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है, और न है। इसलिये बिना कब्जे के अभाव में वादी का वाद चलने योग्य नही है। चुँकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात वादीगण की पुश्तैनी आराजीयात है, जिसमें वादीगण का भले ही भौतिक रुप से कब्जा नही भी हो तो भी वादीगण का मौरुसी हक अधिकारों के तहत कब्जा माना गया है, लिहाजा इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है।

17 **तनकी नम्बर– 6** समग्र रुप से हम पाते है कि वादग्रस्त आराजीयात पत्रावली पर उपलब्ध ई.एक्स.पी.–1 से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात औंकार नाथ जोगी के नाम दर्ज थी, तथा विरासत से उनके पॉचों पुत्रों रामनाथ रुपनाथ, भैरुनाथ, प्रेमनाथ, नारायण नाथ, के नाम दर्ज हुई थी, तथा खातेदार भैरुनाथ की मृत्यु के बाद विरासत से उनके पुत्र देबीनाथ, समुन्द्र, नाथ, लाडूनाथ तथा उनकी बेवा सायरी नाथ के नाम दर्ज हुई थी। जबकि मृतक खातेदार भैरुनाथ की पुत्रीयॉ श्रीमति देउ, श्रीमति छग्गू, भी होने से उनके नाम भी समान हक हिस्से से खाता खुलना चाहिये था, चुँकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा–8 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पिता की सम्पति में पुत्रीयों का भी समान हक हिस्सा माना गया है, ऐसी स्थिति में वादीगण आराजी मुतदाविया में अपने नाम हक घोषणा करवाने के अधिकारी पाये जाते है , साथ ही इस वाद की सभी तनकीयों का निर्णय वादीगण के पक्ष में हो जाने से भी इस वाद का निर्णय हो जाता हैं लिहाजा दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: निर्णय :–

दावा वादी डिक्री किया मौजा कंवलियास तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1124/3,1141/1, 2263, 2346/1122/3 किता 4 रकबा 07 बीघा 04 विस्वा भूमि में वादीगण को 1/6, 1/6 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहे । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट कंवलियास पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner